संख्या–15/20/95–का–4–2009

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग–4 लखनऊः दिनांकः 05 अक्टूबर, 2009

विषयः–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को समय से अधियाचन प्रेषित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, शासनादेश दिनांक 30.9.1991, दिनांक 2.1.1996, दिनांक 27.5.1997, दिनांक 9.8.2007 एवं दिनांक 29.12.2008 के द्वारा आपसे यह अनुरोध किया गया था कि समय से चयन की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु सम्पूर्ण सूचनाओं का समावेश करते हुए, 02 वर्ष पूर्व संबंधित पदों के अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर दिये जायें।

2. लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा अवगत कराया गया है कि उपर्युक्त शासनादेशों में अंकित सुस्पष्ट निर्देशों के बावजूद उन्हें समय से अधियाचन उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं, जिससे विज्ञापन प्रकाशित कराने तथा समय से चयन कराने में अप्रत्याशित विलम्ब हो रहा है। अतः आपको निम्नवत् निर्देशित करने का मुझे निदेश हुआ है:–

(1) सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2010 से संबंधित अधियाचन लोक सेवा आयोग को विलम्बतम दिनांक 15.10.2009 तक प्रेषित कर दिये जायें, ताकि आयोग द्वारा दिनांक 1.1.2010 को उक्त परीक्षा का विज्ञापन प्रकाशित कराया जा सके।

(2) आयोग द्वारा सम्पादित की जाने वाली अन्य परीक्षाओं/चयनों से संबंधित अधियाचन भी 02 वर्ष पूर्व उन्हें उपलब्ध करा दिये जायें, ताकि आयोग द्वारा समय से चयन की कार्यवाही पूर्ण की जा सके।

(3) प्रेषित किये जाने वाले अधियाचनों में रिक्तियों की सुस्पष्ट संख्या के साथ–साथ लम्बवत् तथा क्षैतिज आरक्षण की स्थिति स्पष्ट करते हुए संबंधित पद की सेवा नियमावली (हिन्दी एवं अंग्रेजी) की प्रति भी प्रेषित करने का कष्ट करें।

(4) आयोग द्वारा जिन परीक्षाओं/चयनों के संबंध में पृच्छायें/संवीक्षायें की गयी हों, उनका उत्तर समयबद्ध रूप से आयोग को प्रेषित कर दिया जाय।

3. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव

संख्या–15/20/95(1)–का–4–2009, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,

(अश्वनी कुमार सिंह)
विशेष सचिव